



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 462] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, 19 अक्टूबर, 1978/आश्विन 27, 1900
No. 462] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 1978/ASVINA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारत निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली 19 अक्टूबर, 1978

अधिसूचना

का. आ. 599(अ).—भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 3 के उपबन्धों के अधीन, "भारतीय सोशलिस्ट पार्टी" के नाम और अभिनाम के संगठन को एक राजनीतिक दल के रूप में राजिस्ट्रीकृत करने का विनिश्चय किया है ;

अतः, अब निर्वाचन आयोग, उक्त प्रतीक आदेश के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ग) और उप-पैरा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 (2), तारीख 25 जनवरी, 1978 में का. आ. 41(अ) के रूप में प्रकाशित

तथा समय-समय पर सभा संशोधित अपनी अधिसूचना सं. 56/78(1), ता. 25 जनवरी, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी में प्रविष्टि 40 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :

“41 भारतीय सोशलिस्ट पार्टी—1. आन्ध्र प्रदेश, 2. बिहार, 3. गुजरात, 4. हिमाचल प्रदेश, 5. कर्नाट, 6. मध्य प्रदेश, 7. महाराष्ट्र, 8. उड़ीसा, 9. राजस्थान, 10. उत्तर प्रदेश, 11. पश्चिमी बंगाल और 12. दिल्ली।”

[56/(78—(8)]

वी. नागासुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 19th October, 1978

NOTIFICATION

S. O. 599(E).—Whereas the Election Commission of India has decided to register the organisation with the name and style “Bharatiya Socialist Party” as a political party under the provisions of paragraph 3 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 ;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the said Symbols Order, the Commission hereby makes the following amendment to its notification No. 56/78(1), dated 25th January, 1978 published as S. O. 41(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 25th January, 1978, as amended from time to time, namely :—

In the Table appended to the said notification after entry 40; the following entry shall be inserted ;

“41. Bharatiya Socialist Party—1. Andhra Pradesh, 2. Bihar, 3. Gujarat, 4. Himachal Pradesh, 5. Kerala, 6. Madhya Pradesh, 7. Maharashtra, 8. Orissa, 9. Rajasthan, 10. Uttar Pradesh, 11. West Bengal, and 12. Delhi.

[56/78(6)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.